हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 01/2016 विजयसिंह उर्फ बिजेसिंह वगै. बनाम श्रीमती गुन्नीदेवी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 28.09.2022

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री अब्दुल रहमान मेहर
2. विप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता राणिदान सेवक

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 08.01.2015 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। अपील में पैरोकारी करना अधिवक्ता का कर्तव्य है जो बहस आदि करके अपील को निर्णित करवाते है। तारीख पेशी पर अपीलांटगण का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है। अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा पैरोकारी नहीं करने और न ही अपीलांटगण को सूचित करने और उनके द्वारा असावधानी व लापरवाही बरतने की वजह से अपीलांटगण को दण्डित नहीं किया जावे। अपीलांटगण को उपरोक्त अपील खारिज होने का ज्ञान होने पर वो बाड़मेर आये और वकील नियुक्त कर नकल मांगी दिनांक 01.02.2016 से पीठासीन अधिकारी जैसलमेर कैम्प में गये हुए थे तब नकल दिनांक 08.02.2016 को मांगी जो नकल मिलने पर यह आवेदन माननीय न्यायालय में ज्ञान की तिथि से प्रस्तुत किया गया। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की हो ऐसा कथन झूठा है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा जब श्री कृष्णप्रतापसिंह को वकालतनामा देकर, अपना वकील ही नियुक्त नहीं किया गया, ऐसी सूरत में उनके ओर से अपील में पैरवी करने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। अपीलंटस की ओर से माननीय न्यायालय के जैसलमेर कैम्प कोर्ट में श्री कृष्णप्रतापसिंह अधिवक्ता नियुक्त नहीं थे तो उनके द्वारा लापरवाही अथवा असावधानी बरतने के तथ्य गलत प्रमाणित हो जाते हे। अपील की अंतिम सुनवाई के समय न तो अदालत हाजा में वकील अपीलांट उपस्थित थे, न ही उनका मुंशी हाजिर था और न ही स्वयं अपीलांट ही उपस्थित था। हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा हस्तगत आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया जिसका कोई सदभाविक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कारण नहीं दर्शाया गया। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट अधिवक्ता ने अधिवक्ता श्री किशन प्रतापसिंह का शपथ–पत्र पेश किया गया जिसके खण्डन में विप्रार्थी द्वारा कोई कथन नहीं किये गये। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांटस/प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र के समर्थन में पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना–पत्र को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर